

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित )

प्रकरण संख्या

10 / 2021

प्रविष्टि दिनांक

19.11.2020

जरिये सूरज भान सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक

– प्रार्थी

बनाम

मै0 जय भवानी जोधपुर स्वीट्स टोडारायसिंह टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस, दो रबर पाईप मय नोजल एवं दो भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:-

1- पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.09.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है जिला रसद अधिकारी टोंक के निर्देशानुसार "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान के तहत दिनांक 31.10.2020 को समय 11.50 AM पर प्रवर्तन निरीक्षक ने मै. जय भवानी जोधपुर स्वीट्स टोडारायसिंह टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जाँच हेतु मौके पर पहुँचने पर मौके पर श्री हनुमान राम जाति ब्राह्मण उपस्थित पाये गये जिन्होंने स्वयं को मालिक प्रतिनिधि मै. जय भवानी जोधपुर स्वीट्स टोडारायसिंह टोंक का प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर दो सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर के माध्यम से दो लोहे की भट्टी मय नोजल में जोड़कर अवैध रूप से मिठाई के पदार्थ बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

( सभी मात्रा किलोग्राम में )

क्र. सं.	एस. आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	45515	इण्डेन गैस	14.2	15.600	26	11.600
02	409607	इण्डेन गैस	14.2	15.700	21.700	
					योग	1



जिला कलेक्टर  
टोंक

व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलिण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है । व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी टोंक के निर्देशानुसार " शुद्ध के लिए युद्ध " अभियान के तहत दिनांक 31.10.2020 को समय 11.50 AM पर प्रवर्तन निरीक्षक ने मै. जय भवानी जोधपुर स्वीट्स टोडारायसिंह टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जाँच हेतु मौके पर पहुँचने पर मौके पर श्री हनुमान राम जाति ब्राह्मण उपस्थित पाये गये जिन्होंने स्वयं को मालिक प्रतिनिधि मै.जय भवानी जोधपुर स्वीट्स टोडारायसिंह टोंक का प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर व्यवसाय परिसर स्थल की तलाशी लेने पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर दो सिलेण्डर रबर पाईप,रेगुलेटर के माध्यम से दो लोहे की भट्टी मय नोजल में जोडकर अवैध रूप से मिटाई के पदार्थ बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप से प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त किया गया।

व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलिण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है । उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 17.6 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रतन लाल जाट पुत्र उदाराम जाट टोडारायसिंह गैस सर्विस को सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नही करें । व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 17.6 Kg एलपीजी,गैस पाईप मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 31.10.2020 के अनुसार मै. जय भवानी जोधपुर स्वीट्स टोडारायसिंह टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जाँच /निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप



जिला कलेक्टर  
टोंक

में अवैध रूप से मिठाई के पदार्थ बनाने में प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस. आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	45515	इण्डेन गैस	14.2	15.600	26	11.600
02	409607	इण्डेन गैस	14.2	15.700	21.700	6.00
					योग	17.6 KG

जांच करने पर दुकान/गोदाम में मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर श्रवण तथा प्रहलाद के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामे पर भी श्रवण, प्रहलाद व हनुमान के हस्ताक्षर हैं। टॉक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि रतन लाल जाट को उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई के पदार्थ बनाने में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 2 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 17.6 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टॉक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चित्रा  
जिला कलेक्टर  
जिला कलेक्टर टॉक

